

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, प्रयागराज।

प्रशासकीय आदेश सं.- 18

दिनांक : जनवरी 08, 2024

आदेश

*System Officer*

नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, प्रयागराज/अपर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) कक्ष सं.2, प्रयागराज द्वारा आख्या दि. 04.01.2024 के माध्यम से यह सम्प्रेषित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेश एवं अन्य आदेशों का सत्यापन कार्य, कम्प्यूटर अनुभाग के स्थान पर सम्बन्धित न्यायालय में ही कराया जाना न्यायालयीय कार्य की दक्षता एवं विश्वसनीयता हेतु योगदायी होगा।

2. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभागी की उक्त आख्या दि. 04.01.2024, उक्त पर पारित अधोहस्ताक्षरी आदेश दि. 05.01.2024, जो इस आदेश का अभिन्न भाग है, के माध्यम से अनुमोदित करते हुये औपचारिक आदेश निर्गत किये जाने का निर्देश दिया गया है।

3. अस्तु, उपरोक्त के दृष्टिगत, इस अधिष्ठान के समस्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेश एवं अन्य आदेशों का सत्यापन कार्य, कम्प्यूटर अनुभाग के स्थान पर अपने न्यायालय में कार्यरत मुंसरिम, मुंसरिम/ रीडर अथवा वरिष्ठतम लिपिक से सुनिश्चित किया जाये।

4. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं के पर्यवेक्षण में उक्त सत्यापन कार्य हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सम्पन्न कराते हुये उक्त सत्यापन कार्य सम्बन्धित न्यायालय में कराया जाना यथाशीघ्र प्रारम्भ करायें।

5. सिस्टम आफिसर एवं सिस्टम 3-सिस्टेंट को निर्देशित किया उक्त सत्यापन कार्य में, यथा अपेक्षित सहयोग, सम्बन्धित न्यायालय को समय से प्रदान किया जाना सुनिश्चित करायें जिससे सत्यापन कार्य में विलम्ब होने से किसी वादकारी का हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।

सभी सम्बन्धित अनुपालनार्थ सूचित हों।

*To, the System/Asst.sys. officer do the needful  
Anjor  
08/01/24*

*(संतोष राय)*  
जनपद न्यायाधीश,  
प्रयागराज।